

क्या आप सुरक्षित महसूस करते/करती हैं?

# आशंकित हिंसा आदेश



## एवीओ (AVO) क्या होता है?

आशंकित हिंसा आदेश या एवीओ (AVO) पुलिस या अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए दिया गया आदेश होता है, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है।

एवीओ किसी व्यक्ति को कुछ प्रकार के व्यवहार करने से प्रतिबंधित करेगा, जिसमें हमला करना, परेशान करना, धमकाना, पीछा करना या डराना, या आपकी संपत्ति को नष्ट करना शामिल है।

## एवीओ के प्रकार

आशंकित घरेलू हिंसा आदेश (एडीवीओ):

- किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से की जाने वाली हिंसा से सुरक्षित रखने के लिए, जिसके साथ आपका घरेलू संबंध है (या पहले हुआ करता था), जैसे पति/पत्नी, प्रेमी/प्रेमिका, या परिवार का कोई सदस्य।

आशंकित निजी हिंसा आदेश (एपीवीओ):

- किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से बचाने के लिए, जिसके साथ आपका कोई घरेलू संबंध नहीं है, जैसे पड़ोसी, सहकर्मी या मित्र।



## एवीओ कैसे प्राप्त करें

आप एनएसडब्ल्यू पुलिस से संपर्क कर सकते/सकती हैं और एक पुलिस अधिकारी आपकी ओर से एवीओ के लिए आवेदन कर सकता है, या

आप अपने स्थानीय न्यायालय में स्वयं आवेदन कर सकते/सकती हैं। स्वयं आवेदन करने से पहले कानूनी सलाह लेना एक अच्छा विचार है।



## सहायता कहाँ से प्राप्त करें

यदि आप घर पर असुरक्षित महसूस करते/करती हैं, तो आप पुलिस को 131 444 पर, या आपात स्थिति में 000 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते/सकती हैं।

घरेलू हिंसा के बारे में किसी भी समय, दिन हो या रात, निःशुल्क जानकारी, रेफरल और परामर्श के लिए आप 1800RESPECT को 1800 737 732 पर कॉल कर सकते/सकती हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आप Multicultural Legal Service से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

Western Sydney Community Legal Centre Ltd. में Multicultural Legal Service से संपर्क करें।



ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ स्कैन करें



0401936582 पर कॉल करें

यह प्रकाशन एनएसडब्ल्यू कानून से संबंधित है और अक्टूबर 2021 तक वर्तमान है



mls@wsclc.org.au  
पर ई-मेल भेजें